समाहरणालय मधेपुरा।

(जिला आपूर्ति ,शाखा)

पत्रांक..............

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मधेपुरा ।

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी,
मधेपुरा/उदाकिशुनगंज।

मधेपुरा,दिनांक...............

विषयः- बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि० के गोदामों में भंडारित खाद्यान्न एवं अन्य सामग्रियों का दिनांक 31.03.2015 के तिथि पर शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन के संबंध में।

प्रसंगः- इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 132/आ0 दिनांक 03.02.2015 एवं 522 दिनांक 05.05.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का कृपया स्मरण किया जाय, जिसके माध्यम से प्रबंध निदेशक के पत्रांक 908 दिनांक 21.01.2015 के आलोक में बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि० के गोदामों में भंडारित खाद्यान्न एवं अन्य सामग्रियों का दिनांक 31.03.2015 के तिथि पर दिनांक 01.04.2015 को शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन करने हेतु आपको दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त करते हुए आपके सहयोग के लिए पदाधिकारियों को सम्बद्ध कर विहित प्रपत्र- 'क' एवं 'ख' में गोदाम प्रभारी,प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं जिला प्रबधक के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रतिवेदन प्रबंध निदेशक को भेजने एवं उसकी प्रति अद्योहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था (छाया प्रति संलग्न) । परन्तु वांछित प्रतिवेदन अबतक आपसे अप्राप्त है।

विदित हो कि इस संबंध में प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि० पटना के पत्रांक 5935 दिनांक 26.05.2015 द्वारा स्मार पत्र प्राप्त हुए है(छाया प्रति संलग्न)।

अतः विषय की महत्ता को देखते हुए अनुरोध है कि वांछित भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन विहित प्रपत्र क' एवं 'ख' में प्रबंध निदेशक को यथाशीघ्र भेजते हुए उसकी प्रति अद्योहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक......665.../आ0 मधेपुरा, दिनांक...09.06.15

प्रतिलिपिः-जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

09/06/2015

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

समाहरणालय मधेपुरा।

(जिला आपूर्ति ,शाखा)

पत्रांक....665.....

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मधेपुरा ।

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी,
मधेपुरा/उदाकिशुनगंज।

मधेपुरा,दिनांक..09.06.15

विषयः- बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0 के गोदामों में भंडारित खाद्यान्न एवं अन्य सामग्रियों का दिनांक 31.03.2015 के तिथि पर शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन के संबंध में।

प्रसंगः- इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 132/आ0 दिनांक 03.02.2015 एवं 522 दिनांक 05.05.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का कृपया स्मरण किया जाय, जिसके माध्यम से प्रबंध निदेशक के पत्रांक 908 दिनांक 21.01.2015 के आलोक में बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0 के गोदामों में भंडारित खाद्यान्न एवं अन्य सामग्रियों का दिनांक 31.03.2015 के तिथि पर दिनांक 01.04.2015 को शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन करने हेतु आपको दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त करते हुए आपके सहयोग के लिए पदाधिकारियों को सम्बद्ध कर विहित प्रपत्र- 'क' एवं 'ख' में गोदाम प्रभारी,प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं जिला प्रबधक के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रतिवेदन प्रबंध निदेशक को भेजने एवं उसकी प्रति अद्योहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था (छाया प्रति संलग्न) । परन्तु वांछित प्रतिवेदन अबतक आपसे अप्राप्त है।

विदित हो कि इस संबंध में प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0 पटना के पत्रांक 5935 दिनांक 26.05.2015 द्वारा स्मार पत्र प्राप्त हुए है(छाया प्रति संलग्न)।

अतः विषय की महत्ता को देखते हुए अनुरोध है कि वांछित भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन विहित प्रपत्र क' एवं 'ख' में प्रबंध निदेशक को यथाशीघ्र भेजते हुए उसकी प्रति अद्योहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वासभाजन

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

समाहरणालय, मधेपुरा

(आपूर्ति शाखा)

आदेश

प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0,पटना के पत्रांक 908 दिनांक 21.01.2015(छाया प्रति संलग्न) द्वारा बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0 के गोदामों में भंडारित खाद्यान्न एवं अन्य समाग्रियों का भौतिक सत्यापन दिनांक 01.04.2015 की तिथि पर करने हेतु दण्डाधिकारी को प्रतिनियुक्त करने का अनुरोध किया गया है। विहित प्रपत्र में जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम से सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी तथा गोदाम प्रभारी के संयुक्त हस्ताक्षर से मांगा गया है, जिसके आलोक में दिनांक 01.04.2015 की तिथि पर मधेपुरा जिलान्तर्गत कार्यरत पाँच गोदामों यथा-मधेपुरा/सिंहेश्वर/मुरलीगंज/बिहारीगंज/आलमनगर का भौतिक सत्यापन करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को दण्डाधिकारी प्रतिनियुक्त करते हुए राज्य खाद्य निगम गोदाम का सत्यापन कार्य करने हेतु निम्नांकित पदाधिकारियों को सम्बद्ध किया जाता है:-

क्र0	प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी का पदनाम	सम्बद्ध पदाधिकारी का पदनाम	राज्य खाद्य निगम के गोदाम का स्थान
1	अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा	अंचल अधिकारी, सिंहेश्वर	सिंहेश्वर
2		अंचल अधिकारी-सह-प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा	मधेपुरा
3		अंचल अधिकारी, मुरलीगंज	मुरलीगंज
4	अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज	अंचल अधिकारी, बिहारीगंज	बिहारीगंज
5		अंचल अधिकारी, आलमनगर	आलमनगर

गोदामों का भौतिक सत्यापन दिनांक 01.04.2015 की तिथि पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी सम्बद्व पदाधिकारियों के सहयोग से करेगें तथा प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0,पटना द्वारा प्रेषित विहित प्रपत्र 'क' एवं 'ख' में गोदाम प्रभारी, प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी तथा जिला प्रबंधक संयुक्त हस्ताक्षर से प्रतिवेदन प्रबंध निदेशक, को भेजते हुए उसकी एक प्रति अद्योहस्क्षारी के अवलोकनार्थ भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

इसकी सूचना सभी संबंधितो को दी जाय।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी मधेपुरा।	अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा।	जिलाधिकारी, मधेपुरा

ज्ञापांक.......139/आ0 मधेपुरा 03.02.15

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- सम्बद्व पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना बिज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी मधेपुरा।	अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा।	जिलाधिकारी, मधेपुरा

38250

104

बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि०,
सोन भवन, 5वीं मंजिल, बीरचन्द पटेल पथ, पटना–800001

पत्रांक– 5935 दिनांक– 26-05-15

वरीय प्रभारी पदाधिकारी
शाखा...आपूर्ति

27 MAY 2015
मधेपुरा

प्रेषक,

अरविन्द कुमार सिंह, भा0प्र0से0,
प्रबंध निदेशक।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
(पटना, कैमूर, समस्तीपुर, बेगूसराय
को छोड़कर अन्य सभी जिला)
बिहार।

विषयः– **बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0 के गोदामों में भण्डारित खाद्यान्न एवं अन्य सामग्रियों का दिनांक 31.03.15 की तिथि पर शत–प्रतिशत भौतिक सत्यापन कार्य सम्पन्न कराने हेतु दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करने के संबंध में।**

प्रसंगः– निगम मुख्यालय पत्रांक 908 दिनांक 21.01.15 एवं पत्रांक 4547 दिनांक 21.04.15.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के सन्दर्भ में पुनः स्मारित करना है कि बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0 के गोदामों में भण्डारित खाद्यान्न एवं अन्य सामग्रियों का भौतिक सत्यापन दिनांक 31.03.15 की तिथि पर किये जाने हेतु अपने अधीनस्थ दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्त करने हेतु सभी जिला पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया था।(छाया प्रति संलग्न) परन्तु पटना, कैमूर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिला को छोड़कर अन्य जिला के पदाधिकारियों द्वारा अभी तक गोदामों के भौतिक सत्यापन हेतु दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति नहीं की गयी है। जिसके कारण गोदाम में भंडारित खाद्यान्नों के सही स्थिति का पता नहीं चल पा रहा है।

उल्लेखनीय है कि गोदामों में भंडारित खाद्यान्नों का वितरण राज्य सरकार के निदेश पर जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किया जाता है। वार्षिक भौतिक सत्यापन से गोदामों में भण्डारित खाद्यान्न में हुई क्षति/गबन की जानकारी प्राप्त होती है।

अतः पुनः अनुरोध है कि बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0 के गोदामों में भण्डारित खाद्यान्न एवं अन्य सामग्रियों का भौतिक सत्यापन दिनांक 31.03.15 की तिथि पर कराने हेतु अपने अधीनस्थ दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करने की कृपा की जाय।

अनु0:–यथावर्णित।

विश्वासभाजन,

26/5/15

प्रबंध निदेशक।

867
27/5/15

AR/*